इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 9 अंक : 11 जून, 2017 पृष्ठों की संख्या 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ ----------4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ----------5
नयी नियुक्तियाँ ----------5
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------6
विदेशी मुद्रा ----------6
शब्दावली ----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------8
संस्थान समाचार ----------9
नयी पहलकदमी ----------12
बाजार की खबरें ----------13

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

10 जुलाई से नेफ्ट के जरिये निधियाँ अंतरित करने हेतु 11 नए बैच

भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकुशलता बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (NEFT) के जरिये भुगतानों के निपटान के लिए नए बैचों की शुरुआत कर रहा है। 10 जुलाई से प्रात: 8.30 बजे से आरंभ होकर शाम 6.30 बजे तक आधे घंटे के अंतरालों पर 11 अतिरिक्त निपटान बैचों की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही दिन के दौरान आधे घंटे के अंतराल वाले निपटान बैचों की कुल संख्या बढ़कर 23 हो जाएगी। प्रात: 8.00 बजे वाला आरंभिक बैच तथा शाम को 7.00 बजे वाला अंतिम बैच अब तक की भांति यथावत रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अपने कोर बैंकिंग समाधान (CBS) मैँ अतिरिक्त बैचों को शामिल करने हेतु अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए कहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक अनर्जक आस्तियों के निराकरण की दिशा मैँ आगे बढ़ा

भारतीय रिजर्व बैंक मूल्य की दृष्टि से न्यूनतम 60% लेनदारों तथा संख्या की दृष्टि से 50% लेनदारों के समावेश वाले संयुक्त उधार मंच (JLP) द्वारा निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाई योजनाओं (CAP) के समय पर कार्यान्वयन के उद्देश्य से मानदंडों को परिवर्तित करने की दिशा मैँ आगे बढ़ गया है। उसने बैंकों को यह चेतावनी भी दे दी है कि संयुक्त उधार मंच द्वारा लिए गए निर्णयों के अननुपालन अथवा उसमें की गई देरी पर बैंकों पर मौद्रिक जुर्माने लगाए जाएंगे।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए मार्च, 2019 तक न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की निवल मूल निधि रखना आवश्यक

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात को ध्यान मैँ रखते हुये कि आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ बैंकों का कायापलट करने के लिए उनसे अशोध्य ऋण खरीदने का व्यवसाय करती हैं, दबावग्रस्त आस्तियों का निराकरण करने मैँ महत्तर भूमिका की

परिकल्पना का रखी है। इस मुद्दे का बेहतर ढंग से निराकरण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि सभी मौजूदा अस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को आवश्यक रूप से मार्च, 2019 तक न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत मूल निधि रखना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मैं पारस्परिक निधि, पोर्टफोलियो प्रबन्धकों के लिए सेबी की रूपरेखा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (IFSCs) मैं परिचालनरत पारस्परिक निधियों, वैकल्पिक निवेश निधियों और पोर्टफोलियो प्रबन्धकों को ऐसे केन्द्रों मैं सूचीबद्ध प्रतिभूतियों मैं निवेश करने की अनुमति दे दी है। वे भारत मैं निगमित फर्मों अथवा विदेशी अधिकार क्षेत्र से संबन्धित कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों मैं निवेश करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मैं निगमित कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों मैं भी निवेश कर सकते हैं। ये निवेश भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन होंगे।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक का कथन : ऋणदाताओं को मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य प्रोद्योगिकी अधिकारी रखने चाहिए

बैंकिंग क्षेत्र मैं हो रहे द्रुत परिवर्तनों को ध्यान मैं रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से महत्वपूर्ण वित्त एवं प्रोद्योगिकी कार्यों के प्रधान के रूप मैं अर्हताप्राप्त प्रमुख नियुक्त करने का आह्वान किया है। उसी परिप्रेक्ष्य मैं भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य वित्तीय अधिकारियों (CFOs) और मुख्य प्रोद्योगिकी अधिकारियों (CTOs) लिए न्यूनतम योग्यताएं भी जारी की हैं। किसी बैंक के प्रबंधन ढांचे मैं मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य प्रोद्योगिकी अधिकारी बैंकों के जोखिम अभिशासन ढांचे को सुदृढ़ बनाने तथा उसे टिकाये रखने मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु बैंक शाखाएँ खोलने के लिए मानदंड जारी किए

बैंकों को एक नयी स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने नव-गठित लघु एवं भुगतान बैंकों की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए सीमित कामकाज के समय और कर्मचारियों के साथ लघु शाखाओं की अनुमति देना आरंभ कर दिया है। किसी शाखा को लघु शाखा केवल तभी माना जाएगा, जब वह बैंक कर्मचारियों अथवा कारबार संपर्कियों द्वारा प्रबंधित निश्चित स्थल/समय पर सेवा सुपुर्दगी इकाई हो, जमाराशियाँ स्वीकार करने, चेकों के नकदीकरण, धनराशि आहरित करने अथवा उधार देने की सेवाएँ प्रदान करती हो। किसी लघु शाखा को एक सप्ताह मैं पाँच दिनों के लिए प्रति दिन चार घंटे खुली रहना होगा, वैसा न होने पर उसे सीमित बैंकिंग कार्य करने वाला अंशकालिक बैंकिंग बिक्री केंद्र माना जाएगा।

आंशिक ऋण वृद्धि पात्रता : कारपोरेट बाँड़ों की दो बाहरी एजेंसियों द्वारा रेटिंग आवश्यक

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा कारपोरेट बाँड़ों को प्रदान की जाने वाली आंशिक ऋण वृद्धि (PCE) से सबन्धित अपने दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है। बैंकों के लिए आंशिक ऋण वृद्धि का पात्र बनने के लिए कारपोरेट बाँड़ों का कम से कम दो बाहरी साख श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा साख श्रेणी-निर्धारण करवाना आवश्यक होगा। प्रारम्भिक एवं उत्तरवर्ती श्रेणी-निर्धारण रिपोर्टों मेँ एकल आधार वाले साख श्रेणी निर्धारण (आंशिक ऋण वृद्धि के प्रभाव को छोडकर) और उसके साथ ही वर्धित साख श्रेणी निर्धारण (आंशिक ऋण वृद्धि के प्रभाव सहित) का प्रकटन किया जाना चाहिए। किसी बांड के एकल आधार वाली साख श्रेणी मेँ कालांतर मेँ सुधार होने पर पूंजी आवश्यकता की पुनर्गणना पुनर्निर्धारित एकल आधार वाले साख श्रेणी निर्धारण और पुनर्निर्धारित वर्धित साख श्रेणी निर्धारण के आधार पर न्यूनतम पूंजी प्रतिबंध और खांचों (notches) मेँ अंतर को ध्यान मेँ रखे बिना की जानी चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

पेटीएम द्वारा बैंक की शुरुआत, 4% के ब्याज की अदायगी

एअरटेल और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बाद पेटीएम भारत मेँ भुगतान बैंक की शुरुआत करने वाली तीसरी संस्था/कंपनी बन गई है। वह एअरटेल के 7.25% और इंडिया पोस्ट के 5.5% की तुलना मेँ बचत बैंक खातों पर 4% की सबसे कम वार्षिक ब्याज दर प्रदान करता है। वर्तमान मेँ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बचत खाता केवल आमंत्रण पर ही उपलब्ध है। प्रयोक्ता अपने मोबाइल एप या वेबसाइट पर आमंत्रण का अनुरोध कर सकता है तथा अपने ग्राहक को जानिए कार्यविधि पूरी कर लिए जाने के बाद वैलेट शेष बैंक खाते मेँ अंतरित कर दिया जाएगा। पेमेंट बैंक खाते मेँ 25,000 रुपए जमा करने वाले अपने पहले मिलियन ग्राहकों को 1% की नकद वापसी के प्रस्ताव द्वारा पेटीएम जमाराशियों पर नकद वापसियां करने वाला पहला बैंक भी बन गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम रखने वाले सभी सहकारी बैंकों को सीमित अवधि वाले पूर्व-प्रदत्त कार्ड जारी करने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं अपने एटीएम नेटवर्क रखने वाले सभी सहकारी बैंकों को सीमित अवधि वाले (semi-closed) पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है, बशर्ते इन बैंकों से जमाराशियां स्वीकार अथवा आहरित करने पर कोई रोक न हो। सीमित अवधि वाले पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता के साथ एक करार के अनुसार कुछ निश्चित व्यापारी स्थलों पर माल और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। धारक द्वारा इन लिखतों का उपयोग नकदी आहरण अथवा शोधन के लिए नहीं किया जा सकता।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री आर॰ सुब्रमण्यकुमार	इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त
श्रीमती उषा अनंतसुब्रमण्यन	इलाहाबाद बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री सुनील मेहता	पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री दीनबंधु महापात्र	बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त
श्री एन॰ कामाकोडी	सिटी यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त
श्री राजकुमार	भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पारस्परिक निधि के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिसके साथ गठजोड़ हुआ वह संगठन	उद्देश्य
बैंक आफ बड़ौदा	इफ़्फ़्को	किसानों के लिए एक माह की ब्याज-रहित अवधि के साथ 2,500 रुपए की अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा सहित सह-ब्रांड युक्त डेबिट कार्ड की शुरुआत

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	26 मई, 2017 के दिन बिलियन रुपए	26 मई, 2017 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	24,453.4	3,78,763.5
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	22,896.6	3,54,542.2
(ख) सोना	1,312.5	20,438.9
(ग) विशेष आहरण अधिकार	95.1	1,472.2
(घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	149.2	2,310.2

जून, 2017 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.35600	1.50170	1.65000	1.76600	1.84200
जीबीपी	0.34870	0.5175	0.5797	0.6568	0.7400
यूरो	-0.22820	-0.159	-0.067	0.044	0.163
जापानी येन	0.04750	0.059	0.063	0.079	0.100
कनाडाई डालर	1.15000	1.075	1.180	1.273	1.351
आस्ट्रेलियाई डालर	1.72300	1.770	1.860	2.110	2.220
स्विस फ्रैंक	-0.64250	-0.624	-0.545	-0°451	-0.350
डैनिश क्रोन	-0.04180	0.0302	0.1455	0.2515	0.3822
न्यूजीलैंड डालर	2.05000	2.235	2.418	2.588	2.728
स्वीडिश क्रोन	-0.47000	-0.318	-0°128	0.052	0.247
सिंगापुर डालर	1. 13000	1.335	1.522	1°683	1.818
हांगकांग डालर	0.99000	1.200	1.390	1.520	1.630
म्यामार	3.55000	3.600	3.650	3.700	3.750

शब्दावली

वैकल्पिक निवेश निधि (AIF)

वैकल्पिक निवेश निधि से अभिप्राय है भारत मैं स्थापित अथवा निगमित कोई ऐसी निधि जो निजी रूप से समूहित ऐसा निवेश माध्यम होती है जो अपने निवेशकों के लाभ के लिए एक सुनिर्धारित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने हेतु परिष्कृत भारतीय अथवा विदेशी निवेशकों से निधियाँ एकत्रित करती है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

संभाव्य भावी ऋण एक्सपोजर

संभाव्य भावी ऋण एक्सपोजर का निर्धारण इस बात को ध्यान मैं रखे बिना कि उस संविदा का बाजार भाव पर (mark to market value) मूल्य शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक है किसी संविदा के कल्पित मूलधन की रकम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिखत की प्रकृति और अवशिष्ट मूल्य के अनुसार निर्धारित सुसंगत परिवर्धन कारक से गुणा करके किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जून/जुलाई 2017 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	स्थान
1	पहली बार शाखा प्रबन्धक	12 से 17 जून, 2017 तक	मुंबई
2	अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	19 से 21 जून, 2017 तक	मुंबई
3	प्रमाणित बैंक प्रशिक्षकों के लिए परिक्षोपरांत कक्षा मेँ शिक्षण	21 से 25 जून, 2017 तक	मुंबई
4	ग्राहक सेवा मेँ उत्कृष्टता प्राप्त करना	28 से 29 जून, 2017 तक	मुंबई
5	सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा और साइबर अपराध की रोकथाम	03 से 04 जुलाई, 2017 तक	मुंबई
6	ऋण मूल्यांकन	10 से 14 जुलाई, 2017 तक	मुंबई
7	बैंकों मेँ जोखिम प्रबंधन	19 से 21 जुलाई, 2017 तक	मुंबई
8	वसूली प्रबंधन	19 से 21 जुलाई, 2017 तक	चेन्नै
9	अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	10 से 12 जुलाई, 2017 तक	कोलकाता
10	लघु एवं मध्यम उद्यम	17 से 21 जुलाई, 2017 तक	दिल्ली

संस्थान समाचार

क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के तहत यह अधिदिष्ट किया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों मेँ यथोचित योग्यता/प्रमाणन वाले कर्मचारियों को अभिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भ मेँ उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है :

1° खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड कार्यालय परिचालन

2. जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-वार जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम

3° लेखांकन : वित्तीय परिणामों को तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य

4° ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन

तत्पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने ऐसी उपयुक्त संस्थाओं और पाठ्यक्रमों की पहचान करने के लिए जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। उक्त समूह, जिसने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2017 मेँ प्रस्तुत की, की रिपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के आधार पर भारतीय बैंक संघ ने दिनांक 26 अप्रैल, 2017 के अपने पत्र के अधीन सदस्य बैंकों को उन संस्थाओं के नाम सूचित किए थे जो केंद्रीय बैंक द्वारा इसके ऊपर वर्णित क्षेत्रों मेँ प्रमाणन प्रदान करने की पात्र हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार मैं से तीन क्षेत्रों मैं प्रमाणन प्रदान करता है।

आपके तात्कालिक अवलोकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किए गए तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकों को सूचित किए गए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम इसके नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं :

क्रम संख्या	वे क्षेत्र जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणन अभिज्ञात किया गया है	प्रमाणन प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक /भारतीय बैंक संघ द्वारा अभिज्ञात आईआई बीएफ द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम
1	खजाना परिचालन - व्यापारी, मिड आफिस परिचालन	प्रमाणित खजाना व्यापारी (मिश्रित पाठ्यक्रम - आनलाइन परीक्षा एवं प्रशिक्षण)
2	जोखिम प्रबंधन - ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-वार जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम	वित्तीय सेवाओं मैं जोखिम- चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फार सिक्योरिटीज एण्ड इनवेस्टमेंट (CISI), लंदन के सहयोग से
3	ऋण प्रबंधन - ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन	प्रमाणित ऋण अधिकारी (मिश्रित पाठ्यक्रम - आनलाइन परीक्षा एवं प्रशिक्षण)
4	लेखांकन : वित्तीय परिणामों को तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स एक पाठ्यक्रम शीघ्र ही आरंभ करेगा

संस्थान द्वारा उपर्युक्त विषयों के लिए परीक्षा समान्यतया छः माह मैं एक बार अनलाइन मोड के जरिये देशभर मैं स्थित 130 से अधिक केन्द्रों मैं आयोजित की जाती है। हालांकि, बैंकों एवं अभ्यर्थियों के लाभार्थ इन तीन पाठ्यक्रमों के लिए इसके नीचे दिये गए कार्यक्रम के अनुसार एक अतिरिक्त परीक्षा का आयोजन किया जाएगा :

परीक्षा	परीक्षा की तिथि	पंजीकरण के लिए खुली अवधि
वित्तीय सेवाओं मैं जोखिम	30-07-2017 (रविवार)	05-06-2017 से 20-06-2017 तक
प्रमाणित खजाना व्यापारी और प्रमाणित ऋण अधिकारी	29-10-2017 (रविवार)	15-08-2017 से 14-09-2017 तक

वैश्विक बैंकिंग शिक्षण मानक बोर्ड (ग्लोबल बैंकिंग एजूकेशन स्टैण्डर्ड बोर्ड) का संस्थापक सदस्य

बैंकिंग संस्थानों के 22वें विश्व सम्मेलन (WBCI 2017) की मेजबानी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स आफ नाइजीरिया (CIBN) द्वारा 24 अप्रैल से 28 अप्रैल, 2017 तक लागोस मैं की गई। उक्त सम्मेलन की विषय-वस्तु थी **'रिथिंकिंग दी फ्यूचर आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स एण्ड लाइफलांग लर्निंग'**। सम्मेलन के एक अंग के रूप मैं ग्लोबल बैंकिंग एजूकेशन स्टैण्डर्ड बोर्ड (GBEStB), जिसमें संस्थान संस्थापक सदस्यों मैं से एक होगा, की स्थापना की औपचारिक रूप से घोषणा की गई।

ग्लोबल बैंकिंग एजूकेशन स्टैण्डर्ड बोर्ड का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक बैंकरों के लिए सुस्पष्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानक विकसित करना है। आशा की जाती है कि ग्लोबल बैंकिंग

एजूकेशन स्टैण्डर्ड बोर्ड अपने मानकों के जरिये ऐसी बुनियादें उपलब्ध करायेगा जिन पर वैश्विक बैंकिंग उद्योग उस नैतिक व्यावसायिकता के उच्च मानकों का पुनर्निर्माण कर सकता है तथा उन्हें संपोषित कर सकता है, जिन पर उसका भविष्य आवश्यक रूप से आधारित होना चाहिए। ग्लोबल बैंकिंग एजूकेशन स्टैण्डर्ड बोर्ड का ध्येय विश्वव्यापी बैंकिंग में नैतिक नियमों और व्यावसायिकता को बढ़ाना है।

6ठे उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) की शुरुआत

संस्थान बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र के कार्यरत कार्यपालकों के लिए बैंकिंग एवं वित्त में एक उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम का संचालन करता है। यह आठ माह की अवधि तक सप्ताहांत में संचालित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने अपने कोलकाता स्थित परिसर में 30 घंटों का एक प्रबंधन विकास कार्यक्रम (MDP) संचालित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता द्वारा संचालित उक्त कार्यक्रम उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होगा। उक्त पाठ्यक्रम 9 जुलाई, 2017 से प्रारम्भ होने वाला है। यह कार्यक्रम बैंकिंग क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है और यह बैंकरों की उनकी आजीविका विकास में सहायता करेगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नयी पाठ्यसमग्री

संस्थान ने 29 अप्रैल, 2017 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपनी नयी पाठ्यसामग्री की शुरुआत की। उक्त पुस्तक बैंकिंग भ्रातृसंघ के उद्योग विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई।

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

वर्तमान में संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता है। जून से लेकर अगस्त तक आयोजित की जाने वाली इन परीक्षाओं के लिए अनलाइन पंजीकरण **8 मई, 2017** से आरंभ हो रहा है। अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in . पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए विषय-वस्तुएं इस प्रकार निर्धारित की गई हैं :

*अप्रैल-जून, 2017 : मूलभूत सुविधा वित्तीयन में चुनौतियाँ

*जुलाई-सितंबर, 2017 : विमुद्रीकरण के उपरांत बैंकों पर प्रभाव/ उनके लिए *चुनौतियाँ

*अक्तूबर-दिसंबर, 2017 : सूक्ष्म अनुसंधान आलेख

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने -आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा मेँ कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे मेँ पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों मेँ प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि मेँ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से निराकरण करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध मेँ प्रश्नपत्रों मेँ समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र मेँ 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध मेँ प्रश्नपत्रों मेँ समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र मेँ 30 जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

1° प्रकाशन स्थल	: मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता	: मासिक
3. प्रकाशक का नाम	: डा° जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,

किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4. संपाद्क का नाम : डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम : आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 005
6. स्वामियों के नाम एवं पता : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1,
किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
मैं, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
31.03.2017 डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र
प्रकाशक के हस्ताक्षर
समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 6928/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.1
6.05
6.
5.95
5.9
5.85
5.8
दिसंबर, 2016, जनवरी, 2017, फरवरी,2017, मार्च, 2017, अप्रैल, 2017, मई, 2017
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, मई, 2017

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

90
85

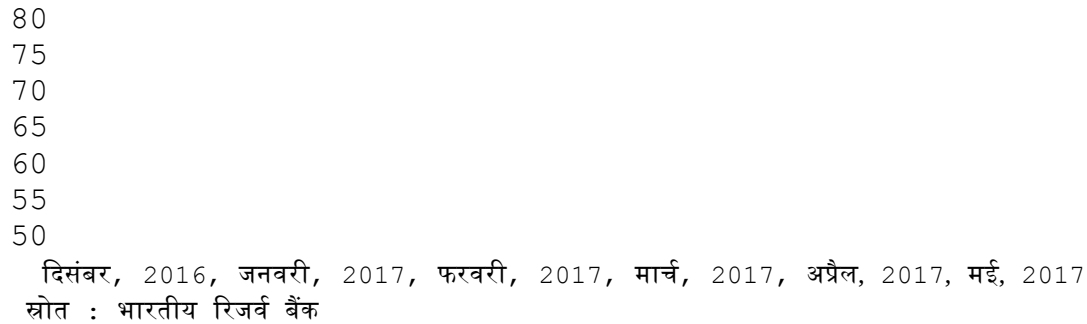

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई, 2017

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

समग्र जमा वृद्धि %

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई, 2017

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन जून, 2017